

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2819]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937

No. 2819]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3540(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1928(अ) दिनांक 16 जुलाई, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में दिनांक 16 जुलाई, 2015 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) जिला “कुरनूल” से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन “अडोनी” हेतु स्तम्भ 5 में चागी और नारायणपुरम गांव अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) जिला “कुरनूल” से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन “अलुर” हेतु स्तम्भ 5 में कम्माराचेडू गांव अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) जिला “कुरनूल” से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन “हालाहारी” हेतु स्तम्भ 5 में चिन्ताकुंटा, हट्टी बेलागल्लू गांव अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12011/22/2015-एपी/पी-7]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणः—मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 16 जुलाई, 2015 में का.आ. 1928(अ) दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3540(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1928(E) dated 16th July, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th July, 2015.

In the Schedule to the said Notification

- (a) Against Serial No. 01 relating to Kurnool district under 4th column for Adoni Police station, Chagi and Narayanapuram Villages shall be inserted in column No. 5.
- (b) Against Serial No. 01 relating to Kurnool district under 4th column for Alur Police station, Kammarachedu Village shall be inserted in column No. 5.
- (c) Against Serial No. 01 relating to Kurnool district under 4th column for Halahari Police station Chintakunta, Hatti Belagallu Villages shall be inserted in column No. 5.

[F. No. RW/NH-12011/22/2015-AP/P-7]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:—The principal notification were published *vide* S.O. 1928(E) dated the 16th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 16th July, 2015.